न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—182/2024/225 आर.टी.एक्ट (2024/182)

1. बाबूलाल पुत्र गणेश
2. छोटू पुत्र भूरा
3. मुकेश पुत्र गणेश
4. रतनलाल पुत्र ऊकार
5. रवि पुत्र गणेश
6. रामेश्वरलाल पुत्र ऊकार
7. शारदा पत्नि गणेश
8. सत्यनारायण पुत्र भूरा

समस्त जाति लखेरा (लखारा) निवासी ग्राम दादिया, तहसील अंराई जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील अंराई जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 23.07.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई राजस्व वाद संख्या 66/2024 बउनवानी बाबूलाल बनाम सरकार।

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोडा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1

निर्णय

दिनांकः—27.01.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई द्वारा प्रकरण संख्या 66/2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र पर अपीलांट/प्रार्थी की बहस सुनी जाकर उक्त प्रार्थना पत्र पर किसी भी प्रकार का आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत नहीं मानते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई द्वारा प्रकरण संख्या 66/2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 705 रकबा 0.0809 है0, 2702 रकबा 2.3623 है0, 2704 रकबा 1.5128 है0 वाके ग्राम दादिया तहसील अंराई जिला अजमेर स्थित है। जो कि अपीलांट्स की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात रही है उपरोक्त आराजी के समीपस्थ 709 श्मशान की भूमि रही है। जिसके पूर्व में अपीलांट की खातेदारी में आवागमन हेतु रास्ता स्थित है, अवैधानिक रूप से अपीलांट की खातेदारी की आराजी से बेदखल किए जाने हेतु नोटिस जारी किए जाने व अपीलांट की आराजीयात पर निर्माण कार्य किए जाने पर उसे खुर्द बुर्द किए जाने पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात में किए जाने वाले कृषि कार्य से व्यवधान उत्पन्न नहीं करे व अपीलांट/वादीगण को मौके से बेदखल नहीं किए, उक्त बाबत स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति प्रदान की जावे। जिसके साथ 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र इन्हीं आधारों पर प्रस्तुत कर वाद के विचाराधीन रहते रेस्पोडेंट को पाबंद किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसे विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 09.07.2024 कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किए गए व दिनांक 19.07.2024 की पेशी नियत की गई, उक्त पेशी पर अप्रार्थी/रेस्पोडेंट के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए, अंकन किया हुआ है, जिस पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 प्रस्तुत कर मौके पर निर्माण कार्य नहीं करने व बेदखल नहीं किए जाने हु तथा कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं किए जाने हेतु अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने हेतु निवेदन किया गया। उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आराजी खसरा नम्बर 709 जिस बाबत किसी प्रकार का अनुतोष अपीलांट्स द्वारा नहीं चाहा गया है उक्त आराजीयात गै0मु0 श्मशान है, वर्णित करते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त किए जाने में त्रुटि कारित की गई है। अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है जिसमे अन्तरिम रूप से अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र आदेश पारित कर रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा को अंतिम रूप से निस्तारित किया जाना है। उनके द्वारा प्रस्तुत अन्तरिम स्थगन को निरस्त करते हुए वास्ते जवाब हेतु पत्रावली को नियत किया गया है उक्त आदेश की आड मे अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को खुर्द–बुर्द कर उस पर निर्माण कार्य आराजी खसरा संख्या 709 की आड में किया जा रहा है। अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई के समक्ष राजस्व वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा हेतु विरुद्ध रेस्पोडेण्ट प्रस्तुत किया गया है, उक्त राजस्व बाद के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर ताफैसला वाद उक्त आराजीयात में अपीलाब्ट्स की आराजीयात में कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग व बाधा उत्पन्न नहीं करने बाबत एवं उक्त आराजीयात को खुर्द–बुर्द नहीं किये जाने वादग्रस्त आराजीबात के मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर रेस्पोडेन्ट की सुनवाई के उपरान्त ही अन्तिम आदेश पारित किया जा

सकता है, अधीनस्व न्यायालय द्वारा एकमात्र रेस्पोडेन्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने के उपरान्त भी आराजीयात खसरा संख्या 709 के जै. मु. श्मशान होने के आधार पर सम्पूर्ण पत्रावली को निर्णित किए जाने संबंधी आदेश पारित करते हुए गुणावगुण पर विवेचन किया जाकर प्रदत्त स्थगन आदेश को खारिज किया जाकर पत्रावली को लम्बित रखे जाने में विरोधाभासी आदेश पारित किया गया है, जो कि प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलान्ट्स उपरोक्त आराजीयात पर बेहैसियत खातेदार चला आ रहा है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का वादग्रस्त आराजीयात से किसी प्रकार का सरोकार नहीं है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जो की विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उक्त प्रकरण के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजीयात बाबत मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने न्यायोचित है, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा उक्त बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पूर्व आदेश दिनांक 9.7.2024 की अनुपालना के उपरान्त भी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किए जाने के आदेश पारित किए गए है जो कि न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए पारित आदेश होने से निरस्त किए जाने योग्य है। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात जो की राजस्व अभिलेख में कृषि आराजीयात है, को खुर्द बुर्द किया जा रहा है एवं उक्त बाबत समस्त कार्यवाही एकमात्र आराजी खसरा संख्या 709 जो कि गै.मु. श्मशान व अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात के समीपस्थ है, स्वयं अपीलांट की आराजी जो कि खसरा संख्या 709 में चिन्हित की गई है, उक्त दुरूस्ती किए जाने प्रकरण अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जिसमे राजस्व कर्मचारियों की टीम बनाई जाकर दिनांक 13.6.2024 को मौके पर स्पष्टतया पूर्व नक्शा शीट व वर्तमान नक्शा शीट में त्रुटि होना वर्णित किया है व नक्शे में शुद्धिकरण हेतु प्रकरण के विचाराधीन रहते अपीलान्ट्स की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात सम्पूर्ण से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का किसी प्रकार का सरोकार नहीं है इसके बावजूद अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात को खुर्द बुर्द किया जा रहा है। अपीलाब्ट्स द्वारा स्वयं के हक एवं अधिकारों की रक्षार्थ राजस्व वाद एवं राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है, जिसमे रेसपोडेन्ट संख्या 1 के उपस्थित होने के उपरान्त भी आदेश पारित किया जा सकता है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में बहस सुनी जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर विवेचन करते हुए स्थगन आदेश को निरस्त किया जाकर पत्रावली को लम्बित किया हुआ है जबकि आक्षेपित आदेश अन्तिम आदेश को स्पष्टतया प्रभावित करता है। उनके द्वारा सम्पूर्ण विवेचन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर किए जाने के उपरान्त भी उसे लम्बित रखा हुआ है, जो कि प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजस्व वाद एवं राजस्व प्रार्थना पत्र में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जो की आवश्यक प्रकृति के है, को न्यायिक प्रकिया के विपरीत निहित क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर प्राथमिक स्तर पर ही सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र को निर्णित किए जाने संबंधी आदेश पारित करते हुए स्वयं के द्वारा प्रदत्त आदेश को निरस्त किया जाकर पत्रावली को लम्बित किया गया है। जो की प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। उक्त आराजीयात के बाबत राजस्व वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है,

जिसके साथ प्रस्तुत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अंतरिम रूप से रेस्पोन्डेन्ट को पाबन्द किया जाना न्यायोचित है कि वे अपीलान्ट्स की कब्जेशुदा एवं खातेदारी की आराजीयात में किसी प्रकार से दखलंदाजी नही करे एवं ना ही वादग्रस्त आराजीयात जो की कृषि उपयोग के आराजीयात है, को बिना संपरिवर्तन कराये खुर्द–बुर्द नहीं करे, ना ही निर्माण कार्य, मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बाबत प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. पर एकमात्र खसरा संख्या 709 को गैमु. श्मशान होना वर्णित करते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त किए जाने में त्रुटि की गई है व 212 आरटीएक्ट के प्रार्थनापत्र पर अन्तरिम रूप से गुणावगुण पर विवेचन करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र को लम्बित किया हुआ है, जो की प्रथम दृष्टया ही अवैधानिक होने से निरस्तनीय है। अतः न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपील प्रस्तुत किये जाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है। अतः पारित आक्षेपित आदेश संशोधित कर मौके व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाना न्यायोचित है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई द्वारा प्रकरण संख्या 66/2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है, इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 23.07.2024 को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 705 रकबा 0.0809 है0, खसरा नम्बर 2702 रकबा 2.3623 है0 खसरा नम्बर 2704 रकबा 1.5128 है0, खसरा नम्बर 709 रकबा 0.1942 है0 भूमि पर अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने बाबत अनुतोष चाहा गया।

प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.07.2024 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया। पटवारी हल्का व आईएलआर द्वारा दिनांक 13.06.2024 को मौका पर्चा तैयार किया गया तथा उक्त रिपोर्ट में खसरा नम्बर 2702 के

दक्षिण–पश्चिम कोने में अंतर होने बाबत उल्लेख किया गया। प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी के तहत उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी/रेस्पोडेंट को जरिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने बाबत अनुतोष चाहा गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किए जाने के पश्चात प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी खारिज किया गया। चूंकि पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2072–2075 के खाता संख्या 1 के खसरा नम्बर 709 की भूमि गै0मु0 शमशान है व पत्रावली वास्ते पैरोकार सरकार जवाब हेतु नियत है। पत्रावली में रेस्पोडेंट/अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 का जवाब प्रस्तुत किया जाना शेष है। चूंकि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 का अंतिम निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होना शेष है तथा बिना जवाब व वादी/अपीलांट द्वारा कहे गए कथनों के आधार पर वादी/अपीलांट को चाहा गया अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र 212 का अंतिम रूप से निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जाना है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा जवाब भी प्रस्तुत होना शेष है। चूंकि बिना जवाब के एकपक्षीय तौर पर रेस्पोडेंट/अप्रार्थी को जरिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता न्यायालय हाजा को उचित प्रतीत नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई द्वारा प्रकरण संख्या 66/2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 27.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर